

२१५-१/२५

पत्रावली जन्तुगा P.O. मा अन्यकार्ड म  
व्यक्त। पत्रावली दिनांक २५/१/२५ का  
पेश हो।  
दि

२१५-१/२५

पत्रावली जन्तुगा वादी रंक जति. श्री ओरल  
कोई भी उपो नही। वादी, प्रतिवासीगण न  
तो पत्रावली न ही आताका उपो



न्यायालय द्वारा धारा 2 क्रम क्रम क्रम आपसे  
 लगाई गई। किन्तु कोई भी उपाय नहीं। सतत  
 प्राप्ति रही। साथ ही अदालत पर भी अदालत  
 क्षमता में खारिज किया जाता है। प्रत्येक  
 दायित्व प्रकृत हो व सर्व मन्त्र से अलग  
 हो।

सुरेश राव  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अनूपगढ़